उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-15/2020/146/92-2-2020-100एम/2019,

लखनऊ :: दिनांक:: 15 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत में अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल (26.05.2018 से 04.12.2019 तक) के दौरान जनपद-पीलीभीत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मे चयनित पैकेज संख्या यू0पी0-5681 के टी09 भोपतपुर से केशवपुर वाया फूटा कुआं, बरगदा मार्ग जिसका अनुबन्ध गठन दिनांक 29.06.2018 तथा कार्य पूर्ण कराये जाने की निर्धारित तिथि 04.12.2019 थी किन्तु कार्य पूर्ण कराये जाने की वास्तविक तिथि 28.06.2019 है तथा यू0पी0-5685 के टी05 पीलीभीत अमारिया एस0टी0जे0 रोड कि0मी0 32 से मुदलिया गासू वाया फुलैया मार्ग जिसका अनुबन्ध गठन दिनांक 16.10.2017 तथा कार्य पूर्ण कराये जाने की निर्धारित तिथि 22.10.2018 थी किन्तु कार्य पूर्ण कराये जाने की वास्तविक तिथि 28.06.2019 है। पैकेज संख्या यू0पी0-5681 एवं यू0पी0-5685 के अन्तर्गत क्रमश: गठित अनुबंध दिनांक 29.06.2018 एवं दिनांक 16.10.2017 के उपरान्त निर्मित मार्ग का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने हेतु की गयी लापरवाही/उदासीनता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रियाज अहमद सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आजमगढ़ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्णकर जांच आख्या (दो प्रतियों में) शासन को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-15/2020/146(1)/92-2-2020तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल आजमगढ़ (आरोप पत्र मयसाक्ष्य सहित)।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, पी0आई0यू0-पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री रियाज अहमद सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in